न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर,
कैम्प भोपाल

प्र0क्र0 /पी0बी0आर0/2015

1– कमलसिंह आ0 स्व0 श्री गोकुल सिंह
2– श्रीमती मानकुंवर बाई पत्नी स्व0 श्री गोकुल सिंह
दोनों निवासीगण– ग्राम पटड़िया डाबी,
तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़

---केवियटकर्तागण

विरूद्ध

1– मानसिंह आ0 श्री हजारीलाल
निवासी– अरन्या तहसील सारंगपुर
जिला राजगढ़।
2– श्रीमती पार्वती बाई बेवा श्री दरियावसिंह (मृतक)
द्वारा– वारिस भंवरीबाई पुत्री दरियाव सिंह
निवासी ग्राम अमलावता तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़।

---अनावेदकगण

धारा 148 (क) सी.पी.सी. 1908 के अन्तर्गत केवियट

माननीय महोदय,

केवियटकर्तागण निम्नानुसार निवेदन करते हैं :–

1– यह कि कैवियटकर्तागण ने न्यायालय अपर कमिश्नर, भोपाल सम्भाग भोपाल में अनुविभागीय अधिकारी तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ के प्रकरण क्र0 46/अपील/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.9.2013 (जो कि नायब तहसीलदार सारंगपुर के प्रकरण क्र0 6/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 26.3.2013 से उद्भूत है) से परिवेदित होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी।

2– यह कि न्यायालय अपर कमिश्नर भोपाल ने कैवियटकर्तागण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील पर प्रकरण क्र0 121/अपील/2013–14 पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन करने एवं अनावेदकगण को विधिवत सूचनापत्र जारी करने के उपरांत सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 13.7.2015 को आदेश पारित कर कैवियटकर्तागण की अपील स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय सारंगपुर के आदेश दिनांक 26.3.2013 एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय सारंगपुर के आदेश दिनांक 30.9.2013 को निरस्त कर दिया है।

3– यह कि केवियटकर्तागण को आशंका है कि अनावेदक क्र0 1 दुराशय से केवियटकर्तागण को परेशान करने की नीयत से न्यायालय कमिश्नर भोपाल के प्र0क्र0 प्र0क0 121/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में निगरानी एवं स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं या यदि उनके द्वारा ऐसी कोई निगरानी या स्थगन आवेदन पत्र दिया गया हैं तो केवियटकर्तागण माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर सुनवाई का अवसर चाहते हैं क्योंकि इस प्रकरण की वादग्रस्त भूमि से केवियटकर्तागण के हित जुड़े हैं।

4– यह कि केवियटकर्तागण को धारा 148–क (1) सी.पी.सी. 1908 के अन्तर्गत केवियट प्रस्तत करने का वैध अधिकार है।

(68)

कमलसिंह / मान सिंह

R-3434/III/15 – राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27.6.2017	आवेदकगण की ओर से श्री टी०एल० आरेवार अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से श्री प्रेमसिंह अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 3 के आवेदन पत्र के विरुद्ध समझौता पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि उभय पक्ष के मध्य समझौता हो जाने से वे प्रकरण नहीं चलाना चाहते हैं। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने से समाप्त किया जाता है। आयुक्त	नि.अ. मानसिंह [redacted] A.D. नि.अ. मानकुंवर (वाद) [redacted]